



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1561) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
23 सितम्बर 2025

एस0 ओ0-169, दिनांक-24 सितम्बर 2025—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1 (अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित महिनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 25	143.2	4.63 X4.93 X2.88	9,413.76
फरवरी, 25	142.8	4.63 X4.93 X2.88	9,387.47
मार्च, 25	143	4.63 X4.93 X2.88	9400.61
अप्रैल, 25	143.5	4.63 X4.93 X2.88	9433.48
मई, 25	144	4.63 X4.93 X2.88	9466.35
जून, 25	145	4.63 X4.93 X2.88	9,532.09
			योग :-56633.76
वर्ष 2025 के प्रथम वर्ष जनवरी, से जून, 2025 का औसत- $56633.76 \div 6 = 9438.96$			

अनुसूची-1(ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2025 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	कृषि नियोजन	अधिसूचना संख्या -1661,1662 दिनांक- 28.03.2025 गजट सं०-233, दिनांक-08.04.2025	कृषि नियोजन

अनुसूची-II

क्र०सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04. 2023+01.10.2023+01. 04.2024+01.10. 2024+01.04.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2025 से प्रभावी होगी	01.10.2025 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए।	348.00+7.00+14.00+ 7.00+14.00+1.00+ 11.00=402.00	3.00	405.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00+252.00+ 503.00+252.00+503.00+ 53.00+399.00=14549.00	126.00	14675.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/ पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही/हलवाहा।	9795.00+196.00+ 92.00+196.00+392.00+ 41.00+311.00=11323.00	98.00	11421.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा।		

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2025 के औसत के आधार पर 1 अक्टूबर, 2025 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्ल्यू०-40-17/2021 श्र०सं०-60)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

23 सितम्बर 2025

एस० ओ०-170, दिनांक 24 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्ल्यू०-40-17/2021 श्र०सं०-61)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

The 23rd September 2025

S.O. 169, Date 24 September 2025--In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2025	143.2	4.63 X4.93X2.88	9,413.76
February, 2025	142.8	4.63 X4.93 X2.88	9,387.47
March, 2025	143	4.63 X4.93 X2.88	9,400.61
April, 2025	143.5	4.63 X4.93 X2.88	9,433.48
May, 2025	144	4.63 X4.93 X2.88	9,466.35
June, 2025	145	4.63 X4.93 X2.88	9,532.09
Total:-56633.76			
First Half Yearly Average of the year January to June ,2025 $56633.76 \div 6 = 9438.96$			

Schedule-1 (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	Agriculture Operations	Notification No- (1661,1662) Dated- 28.03.2025 Gazette No.- 233 Dated- 08.04.2025	Agriculture Operations

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 +01.10.2022+01.04.202+ 01.10.2023+01.04.2024+01.10.20 24+01.04.2025 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2025 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2025 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00+7.00+14.00+7.00+14.00+ 1.00+11.00=402.00	3.00	405.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00+252.00+503.00+252.00 +503.00+53.00+399= 14549.00	126.00	14675.00 Permonth

3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00+196.00+392.00+196.00+ 392.00+41.00+311.00= 11323.00	98.00	11421.00 Permonth
4	Harvesting	One bundle in 10 bundle of harvested crops.		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January - June, 2025** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2025** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No. 5/M.W.-40-17/2021 Sr. no.-60)
By the order of the Governor of Bihar,
Rajeev Ranjan,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1561-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>